मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

देहरादून

मानचित्र संख्या 73/एम/93-94
दिनांक 3-2-94

M 1418

श्री/श्रीमती/मै0 एन0 एन0 मेहरोत्रा

रोक स्टोन आउट हाउस इस्टेट, वालनट ग्रोव रोड, मसूरी ।

आपके प्रार्थना-पत्र दिनांक.....16-9-93.....के सन्दर्भ में आपको प्रस्तावित आपका मौहल्ला/ग्राम/कालोनी में...रोक स्टोन आउट हाउस इस्टेट मसूरी.....स्थित निर्माण का संग्लन मानचित्र निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किया जाता है:-

१- यह मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से तीन वर्ष तक वैध है उसके बाद कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

२- मानचित्र की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग या स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते है।

३- मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। प्रयोजन में परिवर्तन होने पर पूरा निर्माण अनधिकृत माना जायेगा।

४- यदि भविष्य में किसी विकास कार्य हेतु विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा तथा उक्त क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित किसी परियोजना विकास कार्य हेतु अतिरिक्त विकास शुल्क बिना किसी आपत्ति के जमा करना होगा ताकि उक्त क्षेत्र से प्राप्त विकास शुल्क से ही उक्त क्षेत्र का विकास कार्य सम्पादित किया जा सके।

५- जो क्षेत्र विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगा वहां शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।

६- दरवाजे तथा खिड़कियां इस तरह से लगाई जायेंगी कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़े न हो व किसी अन्य मकान की रोशनी व हवा को प्रभावित न करते हो।

७- बिजली की लाइन से ५ फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

८- स्वीकृति,मानचित्र की एक प्रति सदैव निर्माण स्थल पर ही रखनी होगी ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र स्पेसिफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

९- सड़क सर्विसलेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री, बिल्डिंग मैटिरयल नहीं रखा जायेगा तथा गन्दे पानी की निकासी का समुचित प्रबन्ध स्वयं करना होगा।

१०- निर्माण कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर आप निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करें तदोपरान्त ही भवन को प्रयोग में लायेगे।

११- निर्माण के अन्दर यदि कोई वृक्ष आता है तो उसके काटने से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। 5

१२- पानी की निकासी के लिये बैड छोड़ना होगा।

१३- यदि अनुमति प्राप्त करने के बाद किसी भी समय उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट है कि उक्त अनुमति तथ्यो को छुपा कर अथवा फर्जी एवं जाली तथ्य प्रस्तुत करके प्राप्त की गई है तो उक्त अधिकारी को यह अधिकार होगा कि उक्त अनुमति को निरस्त कर सकते है व उक्त मानचित्र के अन्तर्गत किया गया निर्माण अवैध माना जायेगा।

१४- इस मानचित्र की स्वीकृति को भूमि के स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जायेगा और किसी न्यायालय में केवल मानचित्र को भूस्वामित्व के साक्ष्य का आधार नहीं माना जायेगा।

१५- सीलिंग से विवादित भूमि, नजूल भूमि अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मान ली जायेगी।

१६- रोड वाइडनिंग के क्षेत्र में वाउन्ड्रीवाल गेट अथवा अन्य किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।

१७- ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की कमी को देखते हुये १५ अप्रैल से ३० जून तक निर्माण नहीं किया जायेगा।

१८- पर्वतीय भू भाग में कोई हिल कटिंग नहीं की जायेगी।

१९- वन विभाग की निम्न लिखित शर्तों का पालन करना होगा ।

भवन निर्माण केवल स्तम्भो के पर करना होगा ताकि पहाड़ कटान न होने पाये और भू-क्षरण न हो ।

निर्माण के दौरान मलवा सुरक्षित स्थान पर ही डालना होगा

सचिव/उपाध्यक्ष
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून

3- आवेदक को अपने भवन स्थल के खाली स्थान पर कम से कम 20 बीस वन प्रजाति के पौधों का जुलाई 1994 में रोपण करना होगा और रोपण का सत्यापन वन विभाग से कराना होगा ।

उपाध्यक्ष,
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण
मसूरी ।